

न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), लखीमपुर-खीरी।

प्र०दी०वाद सं०- 26/ 2023

सी०आर० सं०- 52/2023

नरेन्द्र कुमार बनाम विशम्भर दयाल आदि

दिनांक-22.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(प्रज्ञा पाराशर)
सिविल जज, जू०डि०
लखीमपुर खीरी।
जे०ओ० कोड-3460

लंच बाद-

पत्रावली पुनः पेश हुई। बार-बार पुकार करायी गया। उभयपक्ष अनुपस्थित आदेश पत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि उभयपक्ष पूर्व कई तिथियों से अनुपस्थित है। आज भी बार-बार पुकार कराये जाने पर उभयपक्ष अनुपस्थित है और न ही उभयपक्ष द्वारा स्थगन प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले को लम्बित रखने का कोई तर्क संगत आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल किया जाये।

(प्रज्ञा पाराशर)
सिविल जज, जू०डि०
लखीमपुर खीरी।
जे०ओ० कोड-3460